

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05/2018 राजस्व अपील

1. रामनिवास पुत्र मांग्या जाति मीना निवासी ग्राम कोरडा कलॉ उप तहसील
बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला
दौसा

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला
दौसा राज. उनवानी प्रकरण सरकार बनाम भगवानसहाय, रामनिवास वगैरा, अन्तर्गत
धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, मु.न. 211/2017 निर्णय दिनांक 12.09.2017

उपस्थिति : श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।

: श्री चन्द्रशेखर टापरिया राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :—

दिनांक: 01.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का गुमानपुरा द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने संवत् 2074 में ग्राम कोरडा तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 177 कुल रकबा 2.97 किस्म चरागाह के 0.10 है0 हिस्से पर बाजरा एवं ख.न. 178 कुल रकबा 10.02 किस्म गैर मुमकिन नदी के 0.10 है0 हिस्से पर बाजरा तथा 0.05 है0 हिस्सा पडत कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 12.09.2017 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति० जिला कलक्टर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोंडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्त ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्त के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की झूठी व बेबुनियाद रिपोर्ट को सही मानकर बिना युक्तिसंगत जांच किये तथा तथकथित आराजी भूमि के आस-पास के खेत वाले तथा रहने वाले लोगो से बिना पुछताछ किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्त का प्रश्नगत चरागाह व गैर मुमकिन नदी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा संवत् 2074 में ग्राम कोरडा तहसील सिकराय मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 177 कुल रकबा 2.97 किस्म चरागाह के 0.10 है० हिस्से पर बाजरा एवं ख.न. 178 कुल रकबा 10.02 किस्म गैर मुमकिन नदी के 0.10 है० हिस्से पर बाजरा तथा 0.05 है० हिस्सा पडत कब्जा कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 12.09.2017 के द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा



20/18
जिला कलेक्टर

अपीलान्ट के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की अपीलान्ट का प्रश्नगत चरागाह व गैर मुमकिन नदी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम कोरडा तहसील सिकराय मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 177 कुल रकबा 2.97 किस्म चरागाह के 0.10 है0 हिस्से एवं ख.न. 178 कुल रकबा 10.02 किस्म गैर मुमकिन नदी के 0.10 है0 हिस्से तथा 0.05 है0 हिस्सा कुल रकबा 0.25 है0 पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.01.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(राजवीर सिंह चौधरी)

अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।



(राजवीर सिंह चौधरी)

अति० जिला कलक्टर, दौसा